# झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 26 वर्ष 2023

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री कुनाल विश्वकर्मा,
ग्रा०-चेचरिया, पो०-मुरमा,
थाना-पाण्डु, मुड़मा कलां, पलामू ।

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदा०, पलामू ।

| आदेश की तिथि | हस्ताक्षरयुक्त आदेश | कार्यालय अभ्युक्ति |
|---|---|---|
| | | |

वाद–26/2023.

| आदेश की तिथि | हस्ताक्षरयुक्त आदेश | कार्यालय अभ्युक्ति |
|---|---|---|
| 17.05.2023 | परिवादी श्री कुनाल विश्वकर्मा, ग्राम–चेचरिया पोस्ट–मुरमा, थाना–पांडू, मुड़मा कलां, जिला–पलामू का परिवाद पत्र आयोग द्वारा जारी किये गये व्हाटसएप्प नं0 पर हुआ।<br><br>परिवदी द्वारा बिना किसी सूचना के उनका राशन कार्ड सं0–202005021298 डिलीट किये जाने का आरोप लगाया गया है। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि पूर्व में ऑनलाईन शिकायत दर्ज की गई थी किन्तु इसका समाधान नहीं किया गया। परिवादी द्वारा भूखमरी की स्थिति का हवाला देते हुए उनके शिकायत के निवारण का अनुरोध किया गया है।<br><br>मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–30.05.2023 को निर्धारित की जाती है।<br><br>प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त परिवाद पत्र की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।<br><br>दिनांक–30.05.2023 को अपराह्न 12:00 बजे रखें।<br><br>**(शबनम परवीन)**<br>सदस्य,<br>झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।<br><br>**(हिमांशु शेखर चौधरी)**<br>अध्यक्ष,<br>झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। | |

C:\Users\PC-06\Dropbox\Anju\आदेश . . . docx107 .

| आदेश की तिथि | हस्ताक्षरयुक्त आदेश | कार्यालय अभ्युक्ति |
|---|---|---|
| 30-05-2023<br>08/06/23 | **वाद सं0–26 / 2023**<br><br>अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री कुंनाल विश्वकर्मा, ग्राम–चेचरिया, पो0–मुरमा, थाना–पाण्डु, मुड़माकलां, पलामू उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू उपस्थित। मामले की सुनवाई ऑडियो कॉल से की गई।<br>आज की सुनवाई में शिकायतकर्ता श्री कुनाल विश्वकर्मा एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू ने आयोग को बताया कि पूर्व में शिकायतकर्ता का नाम राशनकार्ड से डीलिट कर दिया गया था। जांच करने पर यह पता चला कि उनका नाम गलत कारणों से डीलिट कर दिया गया था। अतः शिकायतकर्ता को ग्रीन कार्ड निर्गत कर दिया गया है। आयोग ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि चूँकि अपीलकर्ता ने आयोग को इस आशय की जानकारी दी है कि यदि उन्हें अनाज उपलब्ध नहीं कराया गया तो वे भूखे मर सकते हैं। ऐसे में जिला आपूर्ति पदाधिकारी को तत्काल शिकायतकर्ता को अनाज उपलब्ध कराने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि शिकायकर्ता की भूखसेमौत न हो पाये। यदि राशनकार्ड के माध्यम से अनाज प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो उन्हें झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष से अनाज उपलब्ध कराया जाय। आयोग के आदेश के अनुपालन पर सुनवाई 15.06.2023 निर्धारित की जाती है।<br>मामले की अगली सुनवाई दिनांक–15.06.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–15.06.2023 को रखें।<br><br>(शबनम परवीन)<br>सदस्य,<br>राज्य खाद्य आयोग, राँची।<br><br>(हिमांशु शेखर चौधरी)<br>अध्यक्ष,<br>राज्य खाद्य आयोग, राँची। | |
| D:\Premlata\Court.docx33 | | |

| आदेश की तिथि | हस्ताक्षरयुक्त आदेश | कार्यालय अभ्युक्ति |
|---|---|---|
| 15.06.2023 | **वाद संख्या–26/2023**<br><br>अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री कुनाल विश्वकर्मा, ग्राम–चेचरिया, पो0–मुरमा, थाना–पाण्डू, मुड़माकलां, जिला–पलामू उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू अनुपस्थित। आज की सुनवाई Telephonic conference के माध्यम से की गई।<br><br>आयोग के पिछले आदेश के आलोक में शिकायतकर्ता को राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष के तहत् 50 कि0ग्रा0 चावल उपलब्ध करा दिया गया है। आयोग के आदेश का अनुपालन हो जाने के फलस्वरूप आयोग इस वाद को निष्पादित करता है।<br><br>आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें।<br><br>Sd/- 19.6.23<br>(शबनम परवीन)<br>सदस्य,<br>राज्य खाद्य आयोग, राँची।<br><br>Sd/- 19/06/23<br>(हिमांशु शेखर चौधरी)<br>अध्यक्ष,<br>राज्य खाद्य आयोग, राँची।<br><br>E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx81 | |